कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।
पत्रांक– 90 /14–4–4, दिनांक, बाराबंकी, 03/7/2017.

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

विषयः– उ0 प्र0 प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित एन0 एच0–28 सी बाराबंकी–बहराइच– नानपारा–रूपईडिहा मार्ग किमी0 0.000 से 43.000 के मध्य दोनो पटरी पर मार्ग चौड़ीकरण, टोलप्लाजा एवं पुलिया निर्माण कार्य हेतु 4.645 हे0 संरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण एवं 259 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र अलीगंज लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक– 8बी/यू0पी0/06/21/2017/एफ.सी./105 दिनांक 14–06–2017**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रॉक 3793/14–4–4 दिनॉक 15–06–2017 के क्रम में "**आंशिक संशोधन**" करते हुए सूचित करना है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र अलीगंज, लखनऊ के पत्रांक– **8बी/यू0पी0/06/21/2017/एफ.सी./105 दिनांक 14–06–2017** द्वारा जनपद बाराबंकी में **एन0एच0–28सी** बाराबंकी–बहराइच– नानपारा–रूपईडिहा मार्ग किमी0 0.000 से 43.000 के मध्य दोनो पटरी पर मार्ग चौड़ीकरण, टोलप्लाजा एवं पुलिया निर्माण कार्य हेतु 4.645 हे0 संरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण एवं 259 वृक्षों के पातन की अनुमति **की** सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है इसके क्रम में उक्त सभी निधियॉ, भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि तथा प्रभागवित वन भूमि 4.645 हे0 संरक्षित वन भूमि के दोगुने 9.29 हे0 अवनत वन भूमि पर वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए) अलग–अलग ई–पोर्टल के माध्यम से दिनांक 14–10–2015 के बाद से लागू प्रक्रिया के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तमन मंत्रालय के सम्बन्धित वेवसाइट **www.forestsclearnce.nic.in** में चालान के माध्यम से ई–पोर्टल के चालान द्वारा जमा करते हुए ई–पेमेन्ट के चालान की स्लिप के साथ सभी विन्दुओं पर अपनी अनुपालन आख्या सहित सूचना निम्न विन्दुओं पर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाय। तदोपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का एन0आई0सी0 के माध्यम से प्राप्त ई–पेमेन्ट द्वारा कारपोरेशन बैंक लोधी काम्प्लेक्स ब्रांच ग्राउण्ड फ्लोर ब्लाक नं0–11 सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स फेस नं0–1 लोदी रोड नई दिल्ली में जमा करके चालान की छायाप्रति संहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या सहित (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, अवनत वन भूमि 4.645 हे0 के दोगुने 9.29 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपा की धनराशि तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाय एवं आवश्यक बिन्दुओं पर वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाय। तत्पश्चात ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। (जिसमें जारी करने वाले बैंक का नाम शाखा एवं दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित हो) प्रस्तुत किया जाय। अनुपालन आख्या सभी विन्दुओं पर अलग–अलग निर्धारित प्रपत्र में अवश्य प्रस्तुत किया जाय। अन्यथा अनुपालन आख्या मान्य नहीं होगी।

1– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि दोगुने अवनत वन भूमि पर अर्थाता 9.29 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रख रखाव हेतु धनराशि रू0 2644616/– (छब्बीस लाख चौवालिस हजार छः सौ सोलह मात्र) (वर्तमान वेतन दरो को समाहित करते हुए) कैम्पा नई दिल्ली में ई–पोर्टल के चालान के माध्यम से जमा किया जाय।

2–क प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 2907770/– (उनतिस लाख सात हजार सात सौ सत्तर रू0 मात्र) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाय।

2–ख इसके उपरान्त आन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की आन लाइन की रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण एन0पी0वी0 एवं अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो प्रेषित की जाय, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

2–ग प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचन बद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3– विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (**Forward**) एवं पीछे (**Backward**) उनकी दिशा (**Bearing**) भी लिखनी होगी।

4– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाय।

5– प्रयोगता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगें कि आई0आर0सी0 के मानको के अनुरूप तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू वनाम राजस्थान सरकार में दिनॉक 16–11–2015 में दिये गये आदेश के अनुपालन में प्रयोगता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनो तरफ तथा **Mid line** पर (यदि उपलब्ध हो तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

6– प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

7– प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चि करेगी कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृत से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नही किया जायेगा।

उपरोक्त सभी सर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पर्यावरण वन एवं जलवाय परिर्वतन मंत्रालय के पत्रॉक–।। **B/FC/ROC/95/2011/Part –V/1227** दिनॉक 02–02–2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृत जारी की जायेगी। याचक विभाग को हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नही की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नही किये जाते।

निर्धारित प्रपत्र

Conditions No.	Conditions	Status of Complienc

भवदीय

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

संख्या / उक्तदिनांकित।

1– प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी बाराबंकी एवं रामनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक भारत सरकार से विधिवत स्वीकृत जारी न हो जाय तब तक ऐसा कोई कार्य न करने दिया जाय जिससे वन संरक्षण अधिनियम–1980 एवं मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हो।

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी